(69)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **के0सी0 जैन**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1785–तीन/2009 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–10–2009 पारित द्वारा आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–106/निगरानी/2000–01.

आशुतोष पाण्डेय तनय स्व0 श्री विष्णुदत्त पाण्डे
निवासी ग्राम सगरा तहसील हुजूर जिला रीवा
म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

अनिल कुमार तनय तथा कथित पिता लक्ष्मीकांत
पाण्डे निवासी ग्राम पुराना वस स्टेन्ड जय स्तम्भ के
पास रीवा जिला रीवा मे0प्र0

—— अनावेदक

.....

श्री शिवप्रसाद द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री नागेन्द्र मणि त्रिपाठी,अभिभाषक अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17.8.16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण क्रमांक 106/निगरानी/2000–01 पारित आदेश दिनांक 26–10–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि ग्राम रीवा ज0 न0 55 तहसील हुजूर जिला रीवा की नामांतरण पंजी कमांक 103 में पारित नामांतरण आदेश दिनांक 9.1.93 के विरूद्ध अपीलार्थी अनिल कुमार पाण्डेय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर के न्यायालय में संहिता की

धारा 44(1) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई। जहां अनावेदक आशुतोष पाण्डेय द्वारा यह आपत्ति प्रस्तुत की गई कि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था लिहाजा वह परिवेदित पक्षकार की श्रेणी में नहीं आता क्यों कि भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अनुसार परिवेदित पक्षकार ही अपील दायर कर सकता है। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 25.9.2000 द्वारा आपत्ति खारिज करते हुये उल्लेख किया कि अपीलांट मृतक लक्ष्मीदत्त का पुत्र होने के कारण प्रथम श्रेणी का वारिस है, तथा लक्षमीदत्त पाण्डेय की मृत्यु के बाद वह पक्षकार होने की अधिकारता रखता है। इसी प्रकार लक्षमीदत्त पाण्डेय की पत्नी एवं समस्त पुत्र पुत्रियां भी प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण पक्षकार होने की श्रेणी में आते हैं। अतः उन्हें भी पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्व निगरानीकर्ता आशुतोष पाण्डेय द्वारा कलेक्टर रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई। कलेक्टर रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखते हुये प्रस्तुत निगरानी अपने आदेश दिनांक 27.10.2000 द्वारा निरस्त कर दिया। कलेक्टर रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर निगरानी आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त रीवा द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.10.09 द्वारा कलेक्टर जिला रीवा का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की, इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि निगरानी में वर्णित बिन्दुओं के विपरीत निष्कर्ष देते हुये आवेदक की निगरानी संक्षिप्त निरस्त की गई है। सर्वथा विधि विधान व न्यायिक प्रकिया तथा सिद्वांतो के प्रतिकूल है। उनके द्वारा तर्क में बताया गया है कि प्रकरण में मूल बिन्दु यह था कि आवेदक के पितामहः श्री लक्ष्मीदत्त पाण्डेय ने अपने स्वत्व की संपत्ति का वसीयतनामा आवेदक के हक में निष्पादित कराया था और उसी अनुसार आवेदक उनके सम्पत्ति का स्वत्वधारी हैं, और आवेदक के पक्ष में नामांतरण भी दिनांक 9.1.93 को इसी आधार पर प्रमाणित किया गया था, ऐसी स्थिति में क्या अनावेदक को अपील दायर करने का कोई हक था और क्या अनावेदक द्वारा दायर अपील में किसी अन्य को पक्षकार बनाने का आदेश दिया जा सकता था, अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर विचार नहीं किया है। उनके द्वारा यह भी

बताया गया है कि नामांतरण आदेश दिनांक 9.1.93 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अनावेदक ने अपील दायर किया था, जो अपील अन्य के अतिरिक्त निम्न कारणों से ग्राह्य व विचारणीय नहीं थी। उनके द्वारा तर्क में कहा गया है कि नामांतरण की कार्यवाही में अनावेदक पक्षकार नहीं था इसलिये वह नामांतरण आदेश से व्यथित पक्षकार नहीं था। अनावेदक द्वारा जो अपील दायर की थी वह अवधि वाह्य थी। धारा–5 म्याद अवधि अधिनियम के अधीन आवेदन प्रस्तुत था, ऐसी स्थित में उक्त आवेदन स्वीकार किया जाय कि नहीं इस विन्दु पर जबाव प्रस्तुत करने का अवसर देकर गुण दोष पर निराकरण करना चाहिये था।

4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश विधि के अनुसार है इसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने गये एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है।

6– मेरे द्वारा प्रकरण का सूक्ष्मता से परिशीलन किया गया एवं निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया। विचारण न्यायालय की नामांतरण पंजी एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि नामांतरण पंजी कमांक 103 दिनांक 9.1.93 में की गई जरिये वसीयत नामांतरण की प्रविष्टि में पक्षकार आशुतोष पाण्डेय वनाम लक्ष्मीदत्त पाण्डेय अंकित है। लक्ष्मीदत्त के मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अनिल कुमार पाण्डेय द्वारा अपील संहिता की धारा 44(1) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्णित उत्तराधिकारियों में पत्नी, पुत्र, एवं पुत्रियों को प्रथम श्रेणी का वारिस माना गया है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक अनिलकुमार एवं मृतक लक्ष्मीदतत की पत्नी एवं अन्यपुत्र पुत्रियों को प्रकरण में प्रथम श्रेणी का पक्षकार बनाये जाने का जो आदेश दिया गया है, वह विधि अनुकूल है। अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर रीवा द्वारा भी अपने निगरानीधीन आदेश

दिनांक 27.10.2000 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25.9.2000 को उचित ठहराया गया है, जिससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ । आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 26.10.09 स्थिर रखा जाता है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 26.10.09 स्थिर रखा जाता है । प्रकरण दा0 द0 हो।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर